क्षेत्रीय आयुर्वेदीय पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

गांधी भवन, मण्डी, हिमाचल प्रदेश-175001

Regional Ayurveda Research Institute for Nutritional Disorders

(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)

Gandhi Bhavan, Mandi, Himachal Pradesh-175001, India

Email: arri-mandi@gov.in or arri.mandi@gmail.com

PHONE
01905-222857
01905-221636
TELEFAX
01905-222857

फा.सं.4-24/2015/ए.आर.आर.आई./तक./ तक./ 224-233 दिनांक 1/7/16

सीमित निविदा आंमत्रण

1. विज्ञापन सं. 3/2016 दिनांक 1 जुलाई, 2016
2. निविदा की अंतिम तिथि : (दिनांक 11.7.2016 3.00 तक)
3. निविदा खोलने की तिथि : (दिनांक 11.7.2016 3:30 बजे)

सेवा में,

1. मै.हरिओम ट्रैवलज,एस सी ओ-2/4,अस्पताल रोड, निरामय क्लीनिक के निकट,जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
2. प्रधान मै. देवभूमि टैक्सी स्टैण्ड, सेरी बाजार मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
3. मै. सतलुज टूअर एण्ड ट्रैवलज, बस स्टैण्ड के निकट मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
4. मै. सिद्धि विनायक टूअर एण्ड ट्रैवलज, मण्डी बस स्टैण्ड के निकट, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
5. मै. कुशल कुमार एण्ड संज, गांव पंजेटी, पो.आ. तल्याढ़ जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
6. मै. अजय परमार एण्ड संज, जेल रोड मण्डी हिमाचल प्रदेश
7. मै. राकेश कुमार एण्ड संज, गांव मराथू, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

विषयः स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने बारे।

इस संस्थान में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत "स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम" एवं "अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आयुर्वेदं मोबाईल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम" के लिये मण्डी के निकटवर्ती गावों के परिवारों के सर्वेक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण हेतु निम्न विवरणानुसार एवं शर्तो के अनुसार न्यूनतम दरों पर महेन्द्रा बोलेरो, जाइलो, टाटा सूमो, मारूती स्विफट डिजायर वाहनों के लिये सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं.	जिला/ क्षेत्र का नाम	अवधि	वाहन की संख्या	गांव/स्थान आने जाने की अनुमानित दूरी
1.	स्वस्थ्य रक्षण कार्यक्रम (स्वच्छता मिशन)	1 वर्ष	1	पधियूं 20 कि.मी., टाण्डू 25 कि.मी., जमणी 74 कि. मी., बिजणी 12 कि.मी., रियूर 50 कि.मी. (सप्ताह में पाँच दिन, महीने में 20 बार)
2.	आयुर्वेद मोबाइल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (अनुसूचित जाति उपयोजना)	1 वर्ष	1	कुम्मी 30 कि.मी., लोहारा 36 कि.मी., मराथू 30 कि.मी., चैल चौक 60 कि.मी.

नियम व शर्तें:

1. निविदायें निर्धारित प्रपत्र में प्रभारी (संस्थान), क्षेत्रीय आयुर्वेदीय पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान, गाँधी भवन, मण्डी के पते पर भेजें जो 11.7.2016 को 3:00 बजे तक प्राप्त होनी चाहिये जो उसी दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं के सामने 3:30 बजे खोली जायेगीं।
2. निविदा के साथ रू.5000/- ब्याना (EMD) बैंक ड्राफ्ट द्वारा संलग्न हो जो एसिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज, आरएआरआईएनडी., गाँधी भवन मण्डी के नाम देय हो जिसके बिना निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदाकारों की ब्याना राशि निविदा स्वीकृति के पश्चात उन्हें वापस कर दी जायेगी।
3. निविदाओं के साथ वाहन पंजीकरण, टैक्सी परमिट, वाहन नं., मॉडल नं./टाइप देना होगा। वाहन पाँच साल से पुराना न हो तथा टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। फर्म शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश पर भी वाहन देने में सक्षम हो।
4. फर्म का अपना मोबाइल फोन तथा सामान्य फोन हो । वाहन चालक के पास भी मोबाइल सुविधा हो, लाईट मोटर व्हीकल (LMV) का वैध लाईसेंस हो तथा उसे न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।
5. सफल निविदाकर्ता को रू. 10,000/- की जमानत राशि एसिस्टैन्ट डायरेक्टर ईचार्ज के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी जो संविदा की समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी। यदि फर्म द्वारा नियमों-शर्तों का उल्लंघन होगा या सेवायें असंतोषजनक होंगी या सेवा प्रदान करने से मना कर दे तो जमानत राशि ज़बत हो जायेगी जिसके लिये प्रभारी(संस्थान) का निर्णय मान्य होगा।
6. मांग सूचना के अनुसार वाहन प्रातः 9:00 बजे चालक एवं पी. ओ. एल. सहित गांधी भवन, मण्डी पर उपल्बध कराना होगा। कार्य की अवधि सामान्यत 9 घंटे यानी सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगी। यदि फर्म मांग सूचना पर टैक्सी देने में असफल होगी तो उसके लिये प्रत्येक समय रू. 500/- की कटौती की जायेगी।
7. स्वीकृत दर के अलावा अन्य कोई प्रभार संस्थान द्वारा देय नहीं होगा।
8. यात्रा के समय की गिनती गांधी भवन से चलकर वापस गांधी भवन तक होगी। दरें प्रतिवाहन निर्धारित अवधि के लिये दी जायें। संस्थान, वाहन के खराब होने या उसकी मुरम्मत के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। बाहन खराब होने की परिस्थिति में फर्म को उसी स्थान पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उसके लिए उपयुक्त कटौती की जायेगी।
9. भुगतान मासिक आधार पर चैक द्वारा फर्म के नाम से किया जायेगा तथा नियमानुसार आयकर/सर्विस टैक्स देय राशि से काट लिया जायेगा। फर्म अपने पैन न. (PAN) तथा सर्विस टैक्स पंजीकरण नं. की प्रति सलंग्न करें ।
10. वाहनों की संख्या एवं संविदा अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्रभारी संस्थान के पास सुरक्षित होगा।

(डा. एस. के. शर्मा)
प्रभारी (संस्थान)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक सी.सी.आर.ए.एस. जनकपुरी, नई दिल्ली।
   उक्त निविदा आमंत्रण विज्ञापन को परिषद के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
2. संबधित कार्यक्रम अधिकारी/ स्टाफ

आर.ए.आर.आई.एन.डी. मण्डी में किराए पर वाहन प्रदान करने का प्रपत्र

क्र.सं.	वाहन के प्रकार	गांव पधिऊँ, टाण्डू, बिजणी, रियूर, सरनोटा/ रोपड़ी (जमणी) आने जाने के लिये धन राशी (सप्ताह में 5 बार, महीने में 20 बार) (दरें रूपयों में)	गांव कुम्मी, लोहारा, मराथू और चैलचौक मे आने जाने के लिये धन राशि (सप्ताह में 4 बार, महीने में 12 बार) (दरें रूपयों में)	वाहन पंजीकरण संख्या/माडल बर्ष
1.	महेन्द्रा बोलेरो	रू0	रू0	
2.	महेन्द्रा जाइलो	रू0	रू0	
3.	टाटा सूमो	रू0	रू0	
4.	मारूती वैन	रू0	रू0	

पैन न (PAN)....................................

सर्विस टैक्स न. ....

ब्याना राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट न..................

दिनांक ....

नाम व हस्ताक्षर.................................

फर्म का नाम व पता.............................

....

मो.न.....................दूरभाष..................